

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली।

प्रेस-विज्ञप्ति

उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक-2862/एसएलएसए-66/2019 (ऋ/सरन) दिनांकित 28.10.2021 द्वारा प्रेषित, उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली-2021 के प्रस्तर 3 के आलोक में, मध्यस्थता की व्यवस्था सुदृढ़ बनाये जाने व न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकार केवादों के शीघ्र निस्तारण के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए.डी.आर. भवन दीवानी न्यायालय, परिसर बरेली में संचालित मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थों का एक पैनल बनाया जाना है, जिसके लिए निम्नलिखित अर्हता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 08.08.2025 की सायं 05:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं:-

- 1- ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से 10 वर्ष का अनुभव हो।
- 2- सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
- 3- ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।

आवश्यक निर्देश:-

- 1- चयनित आवेदकों का कार्यकाल मध्यस्थ पैनल बनाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगा।
- 2- आवेदक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो।
- 3- आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों व प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं पासपोर्ट साईज की दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रतियां, स्थायी निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रतिलिपि अनिवार्य रूप में संलग्न करें।

उक्त अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी मध्यस्थता पैनल में सम्मिलित होने हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली के कार्यालय में दिनांक 08.08.2025 की सायं 05:00 बजे तक, कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त करा सकते हैं। उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद न्यायालय, बरेली की वेबसाइट <http://bareilly.dcourts.gov.in> पर Recruitment ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है।

(उमा शंकर कहार)

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बरेली।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित:-

- 1- ओ.एस.डी. कम्प्यूटर, रजिस्ट्रार (जे.) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
- 2- उप निदेशक, सूचना विभाग, बरेली को इस निर्देश के साथ कि इसका प्रकाशन बरेली जनपद के समस्त समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क करायें।
- 3- केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, बरेली को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना को जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
- 4- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय बरेली को इस आशय से कि वह जनपद न्यायालय बरेली की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(उमा शंकर कहार)

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बरेली।

अनुसूची-एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र, बरेली
(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
5. मोबाईल संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वर्तित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित का होना घोषित किया गया है ?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है?

स्व:प्रमाणित
फोटो
चिपकायें

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ, और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक

स्थान

पूर्ण हस्ताक्षर

नोट: आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक पहचान पत्र/आधार कार्ड व पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं जिला बार काउन्सिल के परिचय पत्र की स्व: प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।